संख्या-260/2026/635/22-2-2025-17(445)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, निवासी-जनपद-आगरा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4736/प्रो०अनु०(2)-287/2025 (बैठक दिनांक-30.01.2025), दिनांक 03.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, जो किरावली, थाना-अछनेरा, जनपद-आगरा का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 26.09.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय लड़के अतुल उर्फ बांके का अपहरण कर हत्या कारित किया गया। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-1071/2010 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, आगरा के आदेश दिनाक 07-12-2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। केस नं०-2- एस०टी० नं0-142/2011, भा0द0वि0 की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट, आगरा द्वारा दिनांक 28.02.2022 को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं रु० 10,000/- अर्थदण्ड, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। इस वाद में बन्दी द्वारा मूल सजा पूर्ण कर ली गयी है। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 12 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 16.01.2025 तक लगभग 37 वर्ष है।

3- पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25/94)/97, दिनांक 06.09 2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु बन्दी एक आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण भविष्य में अपराध करने का अवसर होने पुनः अपराध में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा निम्न होने के कारण बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने वाला अपराध बताया गया है और अन्य बिन्दुओं पर पुलिस रिपोर्ट की आख्या से सहमत व्यक्त किया गया है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 26.09.2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय लड़के अतुल उर्फ बांके का अपहरण कर जघन्य हत्या कर अपराध कारित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट तथा जिला मजिस्ट्रेट, आगरा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर0पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र सुरेशचन्द्र को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रत्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोनू (बन्दी संख्या-18199) पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, निवासी जनपद-आगरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-260/2026/635(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- पुलिस आयुक्त, आगरा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in